



केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
पो.बा.नं. ८१, तेलंगखेडी रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर - 440 001

स्थापना आदेश .01 /2012
19.01.2012

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली के पत्र सं. 35034/3/2008 दिनांक 19/05/2009 के तहत जारी भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र सं. 3/4/2010-Dir.(c) दिनांक 01/09/2010 के अनुसरण में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, नागपुर के निम्नलिखित कॅन्टीन कर्मचारियों को एतद्द्वारा संशोधित सुनिश्चित कॅरियर उन्नयन योजना के अन्तर्गत उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारिख से तथा ग्रेड-पे के अनुसार वित्तीय प्रोन्नति (द्वितीय) दी जाती है।


क.स.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	वह तिथि तथा ग्रेड-पे जिससे एमएसीपी स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय प्रोन्नति दी जानी चाहिए (द्वितीय)	
			प्रभावी तिथि	ग्रेड पे
1.	श्री ए.पी.देशपांडे मैनेजर	नागपुर आयुक्तालय	29/10/2011	4600
2.	श्री वाय.एल. लांजेवार हलवाई	नागपुर आयुक्तालय	31/10/2010	2800
3.	श्री एस.एस. हाडके कॅन्टीन क्लर्क	नागपुर आयुक्तालय	01/11/2010	2800
4.	टी.आर. वाडबुधे बेअरर	नागपुर आयुक्तालय	19/12/2010	2000
5.	श्री भरत जाधव बेअरर	नागपुर आयुक्तालय	09/11/2010	2000

तदैव आधार पर एमएसीपी के अधीन उनकी वित्तीय प्रोन्नति पर, जिसमें उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों में कोई बदलाव नहीं होगा, तो भी विशिष्ट व्यवस्था के रूप में, उनके वेतन का पूर्णनिर्धारण एफ आर 22(I)(a)(1) के अधीन उनकी पदोन्नति/अपग्रेडेशन की तारीख या अगली वेतनवृद्धि की तारीख यथा 1 जुलाई से उच्च पद/ग्रेड पे में उनका वित्त वेतन नियत किया जाएगा।

वेतन तथा वेतन वृद्धि की तिथि, व्यय विभाग के दिनांक 13.09.2008 के का ज्ञा.सं. 1/1/2008-आय के स्पष्टिकरण नं.2 के अनुसार निश्चित किया जायेगा।

पुराने मामलों पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही, एमएसीपी योजना लागू करते हुए पुरानी एसीपी स्कीम (अगस्त 1999 की) तथा एमएसीपी स्कीम के अंतर्गत वित्तीय प्रोन्नति दिये जाने के कारण, समान केंडर के पे स्केल में अंतर होने पर इसे विसंगति नहीं समझा जाएगा।

उच्चतर ग्रेड स्केल में वेतन के फिक्सेशन के लिए वेतन वृद्धि की तारीख (1 जुलाई) विकल्प (इस आदेश की प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रयोज्य) का चुनाव किया जा सकता है। एक बार दिया गया ऐसा विकल्प अंतिम माना जायेगा।


धीरेन्द्र लाल
अपर आयुक्त; (का/स्था)
सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
नागपुर

प.सं. II (7)01/99/स्था।

नागपुर 19 जनवरी, 2012

प्रतिप्रेषित :-

1. मुख्य आयुक्त, सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर।
2. उप/सहायक आयुक्त सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, प्रभाग-1/11 नागपुर/अमरावती/चंद्रपुर/भंडारा।
3. सहायक प्रमुख लेखाधिकारी/अधीक्षक (सतर्कता) सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नागपुर।
4. श्रीमती/श्री----- सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
5. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नागपुर।
6. सचिव, सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर समुह "ग" मंत्रालयीन अधिकारी संघटना, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर।
7. गार्ड फाईल।